COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

106

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल , भोपाल संभाग भोपाल

प्रकरण कमांक – अ.नि – 3402 – PBR – 16

मो0 अफजल अहमद आयु वयस्क
पुत्र श्री मो0 अनवार अहमद कृषक
ग्राम कलाखेडी
निवासी – पातरा परीधाट गिन्नौरी भोपाल म0 प्र0

आवेदक / रीविजनकर्ता

विरूद्व

1. मेसर्स जुबली केवरीजेश लिमिटेड सी – 634,
   न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली एवं 18 / 7
   केल्ट्रान चेम्बर, आर्य समाज रोड करोल बाग,
   नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर
   अरविंद सिंगला पुत्र श्री पवन सिंगला
   निवासी व पता – 2106 सेक्टर 38 सी, चण्डीगढ
2. मेसर्स जुबली केवरीजेश लिमिटेड
   द्वारा मेनेजर,
   पता – ग्राम झिरनिया, प. ह. न. 2
   तहसील हुजूर, थाना परवलिया पोस्ट
   मुंगालिया, जिला भोपाल म0 प्र0
3. शासन

अनावेदक / उत्तरदाता

अभिभावक श्री .... द्वारा आज दिनांक ..21/9/16.. को पेश । अधीक्षक

निगरानी / रीविजन आवेदन अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भुराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय ,

आवेदक / रीविजनकर्ता द्वारा यह रीविजन राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 ईटखेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमाकंन प्रकरण 161 / अ – 12 / 2014–2015 में दिनांक 13 / 07 / 15 को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं आदेश के विरूद्व दुखित एवं असंतुष्ठ होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

प्रकरण के तथ्य

यह कि उत्तरदाता द्वारा भूमि खसरा कं 187,191, 192, 198, 199, 200, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 271, 285, 286, 287, 288, 289, रकबा 0.310, 0.550, 0.380, 0.370, 0.160, 0.050, 0.170, 0.130, 0.060, 0.700, 0.200, 0.220, 0.880, 0.340, 0.650, 0.270, 0.300, 0.100 कुल 19 रकबा 6.370 हे0 स्थित ग्राम कला खेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल का दिनांक 4. 7. 15. को कराये गये सीमाकंन के विरूद्व

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3402-PBR/16 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 ईटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-07-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 ईटखेड़ी तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	